

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

जबलपुर, दिनांक.....11...../12/2019

क्रमांक.....13/6101./
चार-12-14/10

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 2446/21-ब (एक) दिनांक 15.04.2019 में दिये गये निर्देशों के तहत रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/4172 दिनांक 16.08.2010 द्वारा श्री लालजी प्रसाद शर्मा एवं क्रमांक बी/4213 दिनांक 02.09.2005 द्वारा श्री आर.सी. कुमावत, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों का चयनग्रेड वेतनमान रु0 18750-22850 पुनरीक्षित 57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290/- में किये गये वेतन निर्धारण को एतद् द्वारा संशोधित किया जाकर उनका पुनरीक्षित वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र०	नाम	चयनग्रेड वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक	नियुक्ति दि० को एंटी वेतन में प्राप्त वेतन व दिनांक व चयनग्रेड वे०मा० में आगामी वे०वृ० का दिनांक	निर्धारित वेतन	देय दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	श्री लालजी प्रसाद शर्मा	26.2.2006 18750- 22850 <u>पुन०वेतनमान</u> 57700- 70290	<u>20050.00</u> 04.11.2005 पुनरीक्षित <u>61690.00</u> 01.01.2006 04.11.2006 04.11.2007 04.11.2008 04.11.2009 01.12.2009 (3 Adv.Inc.)	63070.00 64450.00 65830.00 67210.00 68750.00 70290.00 + (3080 पी.पी.)	26.02.2006 01.11.2006 01.11.2007 01.11.2008 01.11.2009 01.12.2009
सेवानिवृत्ति दिनांक 31.03.2012					
2.	श्री आर.सी. कुमावत	02.05.2003 18750- 22850	<u>19150.00</u> 15.05.2003 15.05.2004	19600.00 20050.00	02.05.2003 01.05.2004
सेवानिवृत्ति दिनांक 15.10.2004					


sdf
(अजय पवार)
रजिस्ट्रार(एम)

प्रतिलिपि:-

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़/सीहोर/होशंगाबाद/इन्दौर/धार/उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, प्लॉट नं० 76. अरेरा हिल्स, केन्द्रीय विद्यालय के पास, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. श्री लालजी प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जी 15/15 पश्चिम टी टी नगर, भोपाल।
4. श्री आर.सी. कुमावत, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 195, न्याय नगर, सुखलिया, इन्दौर।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित

नोट:- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2018/368 दिनांक 01.03.2018 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।

Deman


रजिस्ट्रार (एम)